राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 354/2023

डॉ. सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री ओम प्रकाश सैनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी अशोक नगर, स्टेशन रोड, बागर, झुंझुनू, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अध्यक्ष का कार्यालय, नीट पीजी प्रवेश/परामर्श बोर्ड-2020, सरकारी दन्त विज्ञान कॉलेज (रूह्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज), सुभाष नगर, टीबी अस्पताल के पीछे, जयपुर, राजस्थान।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधुर, राजस्थान।
4. मोहन लाल (पंजीकरण आईडी पीएम-2490 प्रिंसिपल एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री हिमांशु जैन
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	डॉ. वी.बी. शर्मा, एएजी के लिए
		श्री हर्षल थोलिया

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन

<u>निर्णय</u>

माननीय अनिल कुमार उम्पन, न्यायमूर्ति

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	:	**11/08/2023**
निर्णय उच्चारित करने की तिथि	:	**30/05/2023**

न्यायालय द्वारा: (माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन)

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.04.2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए यह इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (नंबर 1243/2023) को इस न्यायालय की एकलपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने राज्य मेडिकल पीजी सीट (एम.डी./एम.एस.) पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी/पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा आवंटन-2022 में भाग लिया और उच्च योग्यता हासिल करने पर, उसे राज्य काउंसलिंग के दूसरे चक्र में ओबीसी एनसीएल श्रेणी के पर एम.डी. बाल चिकित्सा पाठ्यक्रम में डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर (स्टेट परमिट) में सीट आवंटित की गई। इसके अनुसरण में, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने 31.10.2022 को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को रिपोर्ट किया। अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपेक्षित शुल्क जमा कर दिया और उन्हें कुछ समय के लिए कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। हालाँकि, जो सामग्री रिकॉर्ड पर आई है, उसके अनुसार यह परिलक्षित होता है कि चूंकि अपीलार्थी आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहा, इसलिए प्रत्यर्थीगण द्वारा एम.डी. बाल चिकित्सा पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण द्वारा एम.डी. बाल चिकित्सा पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द किए जाने से व्यथित होकर, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने उपरोक्त रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय में मामला दायर किया और कहा कि उसने पहले ही पूरी फीस जमा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद, उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया जोकि बिल्कुल मनमानी, गैरकानूनी और विवेक का इस्तेमाल किए बिना की गई कार्यवाही है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि एक बार जब याचिकाकर्ता उक्त पाठ्यक्रम में शामिल हो गया, तो प्रत्यर्थीगण को क्लर्क द्वारा की गई किसीगलती के आड़ में उसका प्रवेश रद्द करने का अधिकार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि इससे किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि माना जाता है कि संबंधित कॉलेज में एम.डी. बाल-चिकित्सा पाठ्यक्रम में एक सीट अभी भी खाली पड़ी है। दिनांक 18.04.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद यह अपील दायर की गई है।

3. अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु जैन ने जोरदार ढंग से और उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि विद्वान एकलपीठ ने अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान एकलपीठ इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने पहले ही फीस जमा कर दी थी, जिस पर आधिकारिक प्रत्यर्थीगण ने विवाद नहीं किया था। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को एम.डी. बाल-चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और उसे अपना प्रवेश रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने तक उन्हें 06.12.2022 से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता को सदाशयता से की गई गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी के पास तीन आवश्यक दस्तावेज अर्थात रिपोर्टिंग आवेदन, जांच-सूची और शुल्क रसीद जमा नहीं करने का कोई कारण नहीं था, जबकि अन्य सभी दस्तावेज उसके द्वारा प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों के पास पहले ही जमा कर दिए गए थे है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 28.12.2022 के आवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक सदाशयता से की गलती के कारण, उसके द्वारा कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे और इसलिए, उन्हें सदाशयतापूर्ण गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब, जब उन्हें पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। उनका वैकल्पिक निवेदन यह था कि अपीलार्थी के मामले पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए विचार किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता की इस मामले में कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. आनंद एस. बिजली बनाम स्टेट ऑफ केरल एवं अन्य (1993) 3 एससीसी 80 में प्रकाशित
2. डॉली चंदा बनाम चेयरमैन, जेईई एवं अन्य, एआईआर 2004 एससी 5043 में प्रकाशित
3. आशा बनाम पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, (2012) एससीसी खंड 7, पृष्ठ 389 में प्रकाशित
4. आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग (सिविल अपील संख्या 4242/2022, निर्णय 23.05.2022)

5. राजीव प्रताप सिंह बनाम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वीसी एवं अन्य के माध्यम से। (2019 का डब्ल्यूपीसी क्रमांक 1695, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, 17.05.2019 को निर्णित)

4. इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान एकलपीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते समय गंभीर नि:शक्तता और अवैधता बरती है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और आपास्त किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के प्रत्येक पहलू की समझ हासिल करने के बाद ही, विद्वान एकलपीठ ने एक उत्कृष्ट तर्कसंगत आदेश पारित किया है, जो किसी भी कमजोरी या अवैधता से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि काउंसलिंग बोर्ड को आशीष रंजन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2016), 11 एससीसी 225 में प्रकाशित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर पीजी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सारणी का पालन करना होगा। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए और उन्होंने स्वयं डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के प्राचार्य और नियंत्रक को लिखे पत्र दिनांक 28.12.2022 में अपनी गलती स्वीकार की, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी के वकील के इस दावे के संबंध में कि एम.डी. बाल-चिकित्सा की एक सीट खाली पड़ी है, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि 21.11.2022 को आयोजित मॉप-अप चक्र में एम.डी. बाल-चिकित्सा में एक सीट खाली दिखाई गई थी और उसी को 22.11.2022 को अपलोड किए गए सीट मैट्रिक्स में दिखाया गया है और उसके बाद, जब याचिकाकर्ता संबंधित कॉलेज को पूर्ण दस्तावेज जमा करने में विफल रहा, तो काउंसलिंग बोर्ड ने अपीलार्थी को पहले आवंटित सीट पर विचार किया और उसके बाद, कॉलेज द्वारा दी गई राय के अनुसार, काउंसलिंग बोर्ड ने डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में एम.डी. बाल-चिकित्सा की सीट प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में उसकी योग्यता के अनुसार आवंटित कर दी। प्रतिवादी नंबर 4 ने 26.11.2022 को डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में रिपोर्ट किया और उसे कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया जहां उसने 13.12.2022 को ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार, उन्होंने तत्काल अपील को खारिज करने की मांग की।

6. हमने अधिवक्ता परिषद में दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

7. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 28.12.2022 के आवेदन के माध्यम से, अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि तीन दस्तावेज़ अर्थात, रिपोर्टिंग आवेदन, जांच-सूची और शुल्क रसीद कुछ वास्तविक गलती के कारण उसके द्वारा जमा नहीं किए जा सके। हालाँकि, बाद के चरण में, 10.01.2023 को, जब अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो उसने 10.01.2023 को ही उक्त नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उसके द्वारा इसके लिए एक पूरी तरह से अलग कारण व्यक्त किया गया। उसने उत्तर में उल्लेख किया कि दिनांक 06.12.2022 को जब वह प्रथम बार ज्वाइनिंग देने हेतु महाविद्यालय के कार्यालय आया तो वहां कार्यरत एक क्लर्क ने उन्हें गुमराह कर दिया तथा उसके निर्देशानुसार उसने दिनांक 28.12.2022 को प्रार्थना-पत्र लिख दिया, लेकिन वास्तव में, उसे उक्त आवेदन लिखने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके अलावा, आवेदन दिनांक 06.12.2022 (अनुबंध-17) के अनुसार, यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता ने उक्त आवेदन प्राचार्य और नियंत्रक, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रस्तुत किया था और उक्त आवेदन के आधार पर उन्हें अध्ययन/पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई। केवल कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने का अर्थ यह नहीं है कि किसी उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है क्योंकि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हमेशा सभी आवश्यक शर्तों/मापदंडों को पूरा करने के अधीन होता है। अब, हम अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हैं कि वह खाली सीट पर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसे खाली सीट पर दाखिला नहीं दिया गया था। हमारा मानना है कि अपीलार्थी केवल इस आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दावा नहीं कर सकता है कि उसे कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वास्तव में, उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया था और सीट 13.12.2022 तक ही खाली थी। इसे प्रतिवादी क्रमांक 4 को प्रवेश देकर भरा गया। हमारा यह भी मानना है कि यह प्रवेश रद्द करने का मामला नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी ने दर्शाया है। बल्कि उन्हें कभी भी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया।

8. जहां तक अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किए गए वैकल्पिक अनुरोध का संबंध है कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता के मामले पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए विचार किया जा

सकता है, हम पाते हैं कि किस उम्मीदवार को उस स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश देने के लिए एक निर्देश दिया जा सकता है जहां अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी है और नियम का उल्लंघन किया गया है और उम्मीदवार को अन्यथा मेधावी पाया गया है और उसने बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अदालत में अपना मामला प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान मामले में स्थिति नहीं है। चूंकि अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किए, इसलिए अपीलार्थी को उसकी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता। हम **एस. कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2020) 17 एससीसी 465** में प्रकाशित, मामले से अपना दृष्टिकोण मजबूत करते हैं। अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि इन सभी मामलों में, याचिकाकर्ता(ओं)/दावेदारों की कोई गलती नहीं थी और इसलिए अदालतों द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से लिखित रूप में अपनी गलती स्वीकार की है। हालाँकि, बाद के चरण में, कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने बहुत आसानी से अपना रुख बदल लिया और अपनी गलती कार्यालय के एक क्लर्क पर डाल दी। इस प्रकार याचिकाकर्ता का आचरण भी अच्छा नहीं है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने स्पष्ट इरादे के साथ अदालत की शरण नहीं ली है।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते समय विद्वान एकलपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल उचित है। आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। नतीजतन, अपील बिना किसी गुणागुण के है और गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण से फीस की वापसी मांगने का पात्र होगा।

(अनिल कुमार उपमन), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

Sudhir Asopa/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।